लंगट सिंह महाविद्यालय के छात्रावास के छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित मानक नियम

शुल्क सम्बन्धी निर्देश :

1. सभी छात्र/छात्राओं को दो सेमेस्टर के लिए छात्रावास हेतु शुल्क रु. 5100/– देय होगा। तीसरे सेमेस्टर में पुनः छात्रावास में नामांकन/नवीनीकरण तात्कालिक नियमानुसार किया जाएगा। भोजन के लिए तत्काल टिफिन की व्यवस्था होगी। उसका शुल्क अलग से देय होगा।
2. पूरे सत्र का निर्धारित छात्रावास शुल्क व मेस की राशि छात्रावास में नामांकन के साथ ही देय होगा।

छात्र/छात्राओं के आचरण सम्बन्धी निर्देश :

1. अपने आचरण को इस प्रकार रखें कि कक्ष साझीदार को कोई असुविधा न हो।
2. छात्रावास से बाहर जाने से पूर्व पंजिका में समय, जाने का स्थान और उद्देश्य अवश्य अंकित करेंगें।
3. आवागमन का समय : गर्मियों में प्रातः 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक
   सर्दियों में प्रातः 6 बजे से संध्या 5.00 बजे तक
4. शाम को छात्रावास के प्रार्थना सभा में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक होगा।
5. स्थानीय अभिभावक के यहाँ जाने से पूर्व माता–पिता एवं अधीक्षक से अनुमति आवश्यक होगी।
6. माता–पिता के घर/स्थानीय अभिभावक के यहाँ जाने की अनुमति माह में मात्र एक बार दी जायेगी।
7. छात्रावास में छात्रों के आगंतुक (visitors) से मिलने का समय
   गर्मियों में प्रातः 7 से 8 बजे तक तथा संध्या में 4 से 5 बजे तक
   सर्दियों में प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक तथा संध्या 4 से 5 बजे तक
8. छात्रावास का गेट रात्रि 8 बजे (गर्मी) और 6 बजे (सर्दी) से बन्द कर दिया जायेगा।
9. आगंतुक (visitors) से छात्र आगन्तुक कक्ष में ही मिल सकते हैं, और आगंतुक का हस्ताक्षर आगंतुक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।
10. आगंतुक (visitors) को छात्रावास के प्रवेश द्वार पर रखे पंजी में अपना नाम, पता, आने–जाने का समय, छात्र/छात्रा से सम्बन्ध, मिलने का उद्देश्य तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार कार्ड/मतदान पहचान–पत्र अथवा अन्य प्रामाणिक पहचान–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति इत्यादि को साथ में रखना अनिवार्य होगा।
11. यदि कोई छात्र नियम विरूद्ध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कारवाई की जाएगी। किसी प्रकार के अपराध या किसी प्रकार की चोरी करते हुए प्रमाणित होने पर बी.एन.एस. के तहत आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।
12. रैगिंग (किसी भी प्रकार का उत्पीड़न मानसिक / शारीरिक) एक अपराध है, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है तथा विधि सम्मत कारवाई की जा सकती है।
13. अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सामान खोने की स्थिति में छात्रावास प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. छात्रावास से बाहर की गतिविधियों के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।
15. छात्र/छात्रा छात्रावास कर्मियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगें।
16. छात्रावास में सायं 7 बजे से अध्ययन का काल (Study Hour) रहेगा। प्रत्येक छात्र/छात्राओं को उसका अनुपालन करना होगा।

17. रात्रि में नौ बजे के बाद अध्ययन के लिए सिर्फ टेबुल लैम्प का उपयोग किया जा सकेगा।
18. कमरा छोड़ने से पूर्व कमरे की लाईट/ पंखा बन्द करना आवश्यक है, अन्यथा पकड़े जाने पर निर्धारित आर्थिक दंड लिया जायेगा।
19. छात्रावास में नामांकन एक सत्र के लिए किया जाएगा, सत्र समाप्त होने पर परीक्षा के पश्चात् 48 घण्टे के भीतर छात्रावास खाली करना अनिवार्य है।
20. छात्रावास खाली करने से 1 महीना पूर्व सूचित करना होगा।
21. छात्रावास की ओर से दी गई सामग्री फर्नीचर, व अन्य सामान के रख–रखाव की जिम्मेदारी छात्र की होगी।
22. महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों में बदलाव आवश्यतानुसार किया जा सकता हैं। परिवर्तित नियम एवं शर्तों को भी मानना अनिवार्य होगा।
23. छात्रावास अधीक्षक आपके कमरे का औचक निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं।

सख्त वर्जित :

1. छात्रावास में हीटर/इंडक्शन/इमर्शन रॉड आदि।
2. किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन या रखना।
3. सामूहिक कार्यक्रम।
4. होली, दिवाली, जन्मदिन, बीमारी आदि किसी भी स्थिति में पुरूष छात्रावास में किसी महिला और महिला छात्रावास में किसी पुरूष का प्रवेश वर्जित रहेगा।
5. शरारतें, रैगिंग और उपद्रवी खेल किसी भी रूप में सख्त वर्जित हैं।

नोटः *सभी छात्र/छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि छात्रावास में आवंटित सीट के लिए आवेदन करने से पूर्व छात्रावास के नियमों को सावधानी से पढ़ लें। छात्रावास के उपर्युक्त नियम का सख्ती से पालन किया जाना है।*

शपथ–पत्र

मैंने सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ गया/गई हूँ और इनके अनुपालन हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ। मैंने इसकी एक प्रति भी प्राप्त कर ली है।

दिनांक छात्र का हस्ताक्षर

मैं अपने प्रतिपाल्य का नामांकन छात्रावास में लेने जा रहा हूँ। मैं तय समय पर छात्रावास शुल्क और मेस का शुल्क जमा करूँगा/करूँगी। यदि मेरा प्रतिपाल्य किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो छात्रावास प्रशासन छात्रावास खाली करा सकता है और सिक्यूरिटी मनी जब्त कर सकता है।

दिनांक अभिभावक का हस्ताक्षर